फर्द अहकाम
(नियम 133)

अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम हनुमानगढ़

रेवन्ती आदि बनाम लीखूराम आदि

नम्बर मुकदमा 44,144 धारा ... नं. 115 सन 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/2/18	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 05/2/18 को पेश हो। GL	
5/2/18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने राजीनामा (विभाजन प्रस्ताव) पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। वकील प्रतिवादी ने सहमति अनुसार ही योजना के साथ ही सहमति अनुसार दावा डिक्री किए जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 05/3/18 को पेश हो। GL	
5/3/18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। मजीद बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 12/3/18 को पेश हो। GL सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ (8)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 115 सन् 2013

उनवान :–

1. रेवन्ती पत्नी अनन्तराम पुत्र रेड़ाराम उम्र 70 वर्ष जाति रेगर निवासी ईदका बस्ती, किले वाली रोड़, गली नं. 6, अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. धापादेवी पत्नी श्री मुखराम पुत्री रेड़ाराम उम्र 67 वर्ष जाति रेगर निवासी ठाकर आबादी, गली नं. 9 अबोहर जिला फाजिल्का।(पंजाब)

– वादीगण।

बनाम

1. लीलूराम पुत्र बीरबलराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सतपाल पुत्र बीरबलराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गुड्डी पत्नी गणपतराम पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी बड़ोपल चक नाई कांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी देवी पत्नी श्रवण कुमार पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी अबोहर, ठाकर आबादी, गली नं. 13, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
5. मंजू देवी पत्नी श्यामसुन्दर पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी पीलीबंगा रेगर मौहल्ला, वार्ड नं. 20 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. तारादेवी पत्नी सुल्तान जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, ऐलनाबाद जिला सिरसा। (हरियाणा)
7. प्रभुराम पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, विजय नगर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजू पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, विजय नगर जिला श्रीगंगानगर।
9. सरस्वती देवी पत्नी पूर्णराम पुत्री पेमाराम जाति रेगर निवासी ईदका बस्ती रेगर मौहल्ला, अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
10. लालचन्द पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. बनवारी पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. विष्णुलाल पुत्र बंशीधर पौत्र रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. धर्मपाल पुत्र बंशीधर पौत्र रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. चिमन पुत्र बंशीधर पौत्र रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. विद्या पत्नी बंशीधर पुत्रवधु रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. मंजू पुत्री रंगलाल मार्फत माणकचंद जाति रेगर निवासी गंगामाई मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. भगवानाराम पुत्र गणपतराम जाति रेगर निवासी गली नं. 6 रेगर मौहल्ला अबोहर जिला फाजिल्का।
18. काशीराम पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19. सुरजाराम पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
20. रामप्रताप पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
21. रतनलाल पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

लगातार 2

Scanned by CamScanner

22. भंवरी देवी पत्नी सोहनलाल पुत्री मुन्नीदेवी जाति रेगर निवासी गली नं. 6, रेगर मौहल्ला, गंगामाई मन्दिर के पास अबोहर, जिला फाजिल्का।
23. सावित्री देवी पत्नी हजारीराम जाति रेगर निवासी गली नं. 6, रेगर मौहल्ला, गंगामाई मन्दिर के पास अबोहर, जिला फाजिल्का।
24. तारादेवी पत्नी रामकुमार जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 20 पुराने कुए के पास, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
25. धन्नीदेवी पत्नी धर्मपाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 20 पुराने कुए के पास, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
26. देवीलाल पुत्र हरबज जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
27. ताराचन्द पुत्र जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
28. श्योपतराम पुत्र जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
29. राजू पुत्र जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
30. बिरमा देवी पुत्री जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
31. कमला देवी पुत्री जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
32. रामेश्वर पुत्र श्री रेड़ाराम जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
33. श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
34. इमी देवी उर्फ इमली देवी पत्नी हरभंज जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :–
1. श्री राजेन्द्रसिंह मोट्यार। अभिभाषक वादीगण।
2. श्री देवीलाल भाम्भू। अभिभाषक प्रतिवादीगण।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक :– 12.03.2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने 17.04.2013 को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट इस आश्य का पेश किया कि गीतोदवी की कोई संतान नहीं थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है व गीतादेवी के पति भगवानाराम को प्रतिवादी संख्या 17 तथा हरबज सिंह हेमाराम के गोद गया हुआ है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके वारिसों को प्रतिवादी संख्या 26 से 31 तक संयाजित किया गया है। लेकिन कानूनी प्रतिवादी संख्या 17 भगवानाराम व प्रतिवादी सं. 26 ता 31 मृतक रेड़ाराम की कृषि भूमि में से कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार एक ही खानदान के सदस्य है। वादीया के पिता रेड़ाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. पटवार हल्का कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ मे प.नं. 128/289 (21) किला नं. 19 ता 25 कुल क्षेत्रफल 1.7710 हैक्टयर व प.नं. 128/290(24) किला नं. 1 ता 25, कुल क्षेत्रफल 6.3250 हैक्टयर व प.नं. 127/293(39) के किला नं. 1,2,9,10 कुल क्षेत्रफल 1.0120 हैक्टयर इस प्रकार कुल किला 36 कुल क्षेत्रफल 9.1080 क्षेत्रफल है। उक्त संपत्ति में वादीगण का 1/7–1/7 हिस्सा प्रत्येक का बनता है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबदी सम्वत् 2067–70 संलग्न वादपत्र है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि स्व. रेडाराम में हम वादीगण का 1/7–1/7 हिस्सा बनता है। हम वादीगण की संपत्ति पर शेष प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। पूर्व में सहमति से इस कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से हम वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त करते रहे है परन्तु पिछले 2 वर्ष का वार्षिक ठेका हम वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा अदा नहीं किया गया है व बार–बार मांगने पर उनके द्वारा फसल बेचान करने के उपरांत अदा करने हेतु कहा गया लेकिन आज तक उनके द्वारा ठेका राशि हम वादीगण को अदा नहीं की गई है व अर्सा 7 दिवस पूर्व उन्होनें ठेका राशि देने से इन्कार कर दिया व ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वे इस कृषि भूमि को अपने नाम करवा लेगें व आगे इसे रहन, बैय या अन्य तरीके से मुंतकिल भी करेंगे। प्रतिवादीगण के द्वारा इस प्रकार की नाजायज तौर

लगातार 3

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

(10)

पर दी गई धमकी के वादीगण ने इस जमीन की जमाबंदी प्राप्त की तब पता चला कि यह कृषि भूमि अभी भी वादीगण के पिता स्व. रेड़ाराम के नाम दर्ज है। इस कारण वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/7–1/7 हिस्सा प्रत्येक विभाजन करवाने की अधिकारी है व इसी कदर खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर खाता तकसीम करवाने का भी अधिकार है। हम वादीगण द्वारा 15.02 2013 को प्रतिवादीगण से हम वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता तकसीम व कब्जा आराजी देने व पूर्व 2 वर्ष की ठेका राशि देने का निवेदन किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। यही वादकारण है। हम वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा प्रत्येक का हक बनता है। अगर प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी का बेचान व रहन, बैय, मुंतकिल किया जाता है तो हम वादीगण को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस कारण हम वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुंतकिल करने निषेध रहे व मौका की स्थिति यथावत् रखें। हम वादीगण के हक व हिस्सा की आराजी का नाजायज रूप से प्रतिवादीगण द्वारा मुफाद उठाया जा रहा है व आगामी वर्ष की ठेका राशि जो 15000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से बनती है, की भी अदायगी करने इन्कार कर रहे है। साथ ही पूर्व के दो वर्ष की ठेका राशि भी प्रतिवादीगण द्वारा अदा नहीं की गई है। इस कारण वादीगण निवेदन करती है कि उपरोक्त आराजी में हम वादीगण प्रत्येक को 1/7 हिस्सा की कृषि भूमि की वार्षिक ठेका राशि 15000/– रूपये प्रति बीघा की दर से दिलवाई जाने के आदेश फरमावें जावे। वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 32 को परिवार के सदस्य होने व दीगर प्रतिवादीगण सह–काश्तकार होने व भूमि संयुक्त कब्जे में होने के कारण वादपत्र में पक्षकार बनाये गये है। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र में निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा फरमायी जावे कि हम वादीगण स्व. रेड़ाराम के नाम दर्ज आराजी, जिसका विवरण वादपत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज किया गया है, में 1/7–1/7 हिस्सा प्रत्येक बहिस्से बराबर की खातेदार है। मुताबिक घोषणा उपरोक्त आराजी का अच्छी मंदी के लिहाज से विभाजन कर अलग खाता कायम कर रकमराज कायम की जावे व इस आराजी का दखल हम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण की ओर बकाया पूर्व की वार्षिक ठेका राशि 50,000/– रूपये के हिसाब से पूर्व के बकाया 2 वर्ष की ठेका राशि 1,00,000/– रूपये बनती है व दावा दायरी से आगामी वार्षिक ठेका राशि 15000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से दिलवाई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्य की फरमाई जावे कि वे वादग्रस्त आराजी जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज है, को किसी प्रकार से रहन, बैय, मुंतकिल नहीं करें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादीगण के पक्ष में जारी फरमाया जावे।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 10, 11, 12, 14, 32 की ओर से जवाब दावा मय कांउटर क्लेम इस आश्य का पेश किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दू खानादान की जद्दी जायदाद है जो स्वर्गीय रेड़ाराम के नाम से दर्ज है। उपरोक्त आराजी को रेड़ाराम के जीवनकाल से ही पिछले 50 वर्षों से रेड़ाराम की लड़के रामेश्वर, बीबरल, पेमाराम, रंगलाल अपने पिता के साथ रहकर काश्त करते आ रह है। रेड़ाराम, बीरबलराम, पेमाराम, रंगलाल के फौत होने के पश्चात् उपरोक्त आराजी को रामेश्वर 1/4 हिस्सा, लीलूराम–सत्पाल 1/4 हिस्सा, प्रभुराम, राजू, लालचंद, बनवारी 1/4 हिस्सा, विष्णु, धर्मपाल, चिमन 1/4 हिस्सा बतौर संयुक्त काश्तकार काश्त करते आ रहे है और अब भी मौके पर इसी प्रकार से उपरोक्त आराजी पर काबिज है तथा रकम राज व सरकारी देय भरते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने इसलिए जरिये काउंटर उक्त हिस्सा अनुसार डिक्री पाने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा मय कांउटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरवाया जावे तथा प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। दिनांक 15.07.2016 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आश्य का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 31 का कब्जा काश्त नही है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1,2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8, 10, 11 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 31 का 1/4 हिस्सा पर चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 18 ता 31 अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहते है तथा बतौर राजीनामा अपना हक व हिस्सा शेष प्रतिवादीगण के पक्ष में छोड़ना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 10, 11, 12, 14 व 32 द्वारा प्रस्तुत कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाता है तो मुझवादीगण एवं प्रतिवादीगण 18 ता 31 को कोई उज्र व ऐतराज नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या 26 से 31 के पिता हरबज हेमाराम के गोद गया हुआ था। इसलिए अपने प्राकृतिक पिता रेड़ाराम की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 व 18 ता 31 कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा खारिज फरमाया जाकर कांउटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1, 2, 10, 11, 12, 14 व 32 का डिक्री किया जावे। दिनांक 04.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 34 इम्मीदेवी ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कांउटर क्लेम प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है।

लगातार 4

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वाद की ताईद में नकल जमाबंदी चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. सम्वत 2067–70 खाता नं. 114/99 बहक रेड़ा वल्द खेमा प्रदर्श–1, चित्रप्रतिलिपि दस्तबरदारी गुड्डी, रोशनी, तारा, मंजू पुत्रीयां बीरबलराम बहक लीलूराम–सतपाल प्रदर्श–2ए, चित्रप्रतिलिपि दस्तबरदारी सीमा बहक लीलूराम प्रदर्श–3ए, तस्दीक वार्ड पार्षद प्रदर्श–4, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अजीतपुरा प्रदर्श–5, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरबजराम प्रदर्श–6ए, वारिस प्रमाण पत्र ताराचन्द ग्राम पंचायत रामासरानारायण प्रदर्श–7ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रेड़ाराम प्रदर्श–8ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बीरबलराम प्रदर्श–9ए, चित्रप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र रामेश्वर प्रदर्श–10ए, चित्रप्रतिलिपि प्रमाण पत्र नगरपालिका हनुमानगढ़ प्रदर्श–11ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पेमाराम प्रदर्श–12 ए, चित्रप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र राजकुमार ग्राम पंचायत कोहला प्रदर्श–13 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रंगलाल प्रदर्श–14 ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोहला विष्णु प्रदर्श–15 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बंशीलाल प्रदर्श–16ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र विष्णु प्रदर्श–17 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–18ए व 19ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मानीदेवी प्रदर्श–20 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बादूदेवी प्रदर्श–21ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र लिछमादेवी प्रदर्श–22ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श–23ए आदि पेश किये तथा बतौर मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी सतपाल के ब्यान करवाये गये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रस्तुत जवाब दावा मय कांउटर क्लेम व राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया। अपने तर्क की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. सम्वत् 2067–70 खाता नं. 114/99 बहक रेड़ा वल्द खेमा प्रदर्श–1, चित्रप्रतिलिपि दस्तबरदारी गुड्डी, रोशनी, तारा, मंजू पुत्रीयां बीरबलराम बहक लीलूराम–सतपाल प्रदर्श–2ए, चित्रप्रतिलिपि दस्तबरदारी सीमा बहक लीलूराम प्रदर्श–3ए, तस्दीक वार्ड पार्षद प्रदर्श–4, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अजीतपुरा प्रदर्श–5, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरबजराम प्रदर्श–6ए, वारिस प्रमाण पत्र ताराचन्द ग्राम पंचायत रामासरानारायण प्रदर्श–7ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रेड़ाराम प्रदर्श–8ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बीरबलराम प्रदर्श–9ए, चित्रप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र रामेश्वर प्रदर्श–10ए, चित्रप्रतिलिपि प्रमाण पत्र नगरपालिका हनुमानगढ़ प्रदर्श–11ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पेमाराम प्रदर्श–12 ए, चित्रप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र राजकुमार ग्राम पंचायत कोहला प्रदर्श–13 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रंगलाल प्रदर्श–14 ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोहला विष्णु प्रदर्श–15 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बंशीलाल प्रदर्श–16ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र विष्णु प्रदर्श–17 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–18ए व 19ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मानीदेवी प्रदर्श–20 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बादूदेवी प्रदर्श–21ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र लिछमादेवी प्रदर्श–22ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श–23ए आदि पेश किये तथा बतौर मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी सतपाल के ब्यान करवाये गये है की ओर व राजीनामा, इकबाल दावा की ओर ध्यान आकर्षित किया।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 7, 8, 10ता14, 18 ता 32, 34 ने दावा डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादी नं. 3 ता 6 व सीमा ने अपना हक जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी नं. 1, 2 के पक्ष में त्याग दिया है। प्रतिवादी नं. 17 मृतक का नाम कलमजन किया गया है। प्रतिवादी नं. 9, 15, 16 बावजूद विधिवत सम्मन तामिल उपस्थित नहीं है जिनका हक सुरक्षित है।

उपरोक्त विवेचन स्वरूप मुताबिक राजीनामा, इकबाल दावा वाद वादीगण काबिल खारिज एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय कांउटर क्लेम, सहमति अनुसार काबिल अन्तिम डिक्री है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. की जमाबंदी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 114/99 के प.नं. 128/289 (21) किला नं. 19 ता 25 कुल क्षेत्रफल 1.7710 हैक्टयर व प.नं. 128/290(24) के किला नं. 1 ता 25, कुल क्षेत्रफल 6.3250 हैक्टयर व प.नं. 127/293(39) के किला नं. 1,2,9,10 कुल क्षेत्रफल 1.0120 हैक्टयर इस प्रकार कुल किला 36 कुल क्षेत्रफल 9. 1080 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादीगण नं. 1, 2 लीलूराम, सतपाल दोनों 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 7 ता 11, प्रभुराम, राजू, सरस्वती, लालचंद, बनवारी पांचों 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 16 विष्णुपाल, धर्मपाल, चिमन, विद्या, मंजू पांचों 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 32 रामेश्वर 1/4 हिस्सा के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। मुताबिक सहमति उभय पक्षकारान **प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पास** चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 128/289(21) के किला नं. 21/.127, प.नं. 128/290(24) के किला नं. 1 ता 3, 4/.126, 6 ता 9, प.नं. 127/293(39) किला नं. 9/.253, कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं 7 ता 11 के पास** चक नं. चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 128/290(24) के किला नं. 16, 18/.127, 19/.126 20 ता 25, प.नं. 127/293(39) के किला नं. 1/.253 कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं. 12 ता 16 के पास** चक नं. चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 127/293(39) किला नं. 10/.253, प.नं. 128/290(24) के किला नं. 10 ता 15, 17, 18/126, 19/.127 कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी संख्या 32 के पास** चक नं. चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 128/289(21) के किला नं. 19, 20, 21/.126, 22 ता 25, प.नं. 128/290(24) के किला नं. 4/.127, 5/.253 प.नं. 127/293(39) के किला नं. 2/.253 कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी।

लगातार 5

Scanned by CamScanner

(12)

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 100/– का स्टाम्प तकमिलन शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण–प्रतिवादीगण स्वंय अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2018 को बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 115 सन् 2013
अनवान :–

1. रेवन्ती पत्नी अन्नतराम पुत्र रेड़ाराम उम्र 70 वर्ष जाति रेगर निवासी ईदका बस्ती, किले वाली रोड़, गली नं. 6, अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. धापादेवी पत्नी श्री मुखराम पुत्री रेड़ाराम उम्र 67 वर्ष जाति रेगर निवासी ठाकर आबादी, गली नं. 9 अबोहर जिला फाजिल्का।(पंजाब)

– वादीगण।

बनाम

1. लीलूराम पुत्र बीरबलराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सतपाल पुत्र बीरबलराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गुड्डी पत्नी गणपतराम पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी बड़ोपल चक नाई कांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी देवी पत्नी श्रवण कुमार पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी अबोहर, ठाकर आबादी, गली नं. 13, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
5. मंजू देवी पत्नी श्यामसुन्दर पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी पीलीबंगा रेगर मौहल्ला, वार्ड नं. 20 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. तारादेवी पत्नी सुल्तान जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, ऐलनाबाद जिला सिरसा। (हरियाणा)
7. प्रभुराम पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, विजय नगर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजू पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, विजय नगर जिला श्रीगंगानगर।
9. सरस्वती देवी पत्नी पूर्णराम पुत्री पेमाराम जाति रेगर निवासी ईदका बस्ती रेगर मौहल्ला, अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
10. लालचन्द पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. बनवारी पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. विष्णुलाल पुत्र बंशीधर पौत्र रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. धर्मपाल पुत्र बंशीधर पौत्र रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. चिमन पुत्र बंशीधर पौत्र रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. विद्या पत्नी बंशीधर पुत्रवधु रंगलाल जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. मंजू पुत्री रंगलाल मार्फत माणकचंद जाति रेगर निवासी गंगामाई मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. भगवानाराम पुत्र गणपतराम जाति रेगर निवासी गली नं. 6 रेगर मौहल्ला अबोहर जिला फाजिल्का।
18. काशीराम पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19. सुरजाराम पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
20. रामप्रताप पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
21. रतनलाल पुत्र मुन्नीदेवी पुत्री रेड़ाराम पत्नी किशन जाति रेगर निवासी अमर की चक्की के सामने, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
22. भंवरी देवी पत्नी सोहनलाल पुत्री मुन्नीदेवी जाति रेगर निवासी गली नं. 6, रेगर मौहल्ला, गंगामाई मन्दिर के पास अबोहर, जिला फाजिल्का।
23. सावित्री देवी पत्नी हजारीराम जाति रेगर निवासी गली नं. 6, रेगर मौहल्ला, गंगामाई मन्दिर के पास अबोहर, जिला फाजिल्का।
24. तारादेवी पत्नी रामकुमार जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 20 पुराने कुए के पास पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

Scanned by CamScanner

25. धन्नीदेवी पत्नी धर्मपाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 20 पुराने कुए के पास, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
26. देवीलाल पुत्र हरबज जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
27. ताराचन्द पुत्र जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
28. श्योपतराम पुत्र जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
29. राजू पुत्र जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
30. बिरमा देवी पुत्री जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
31. कमला देवी पुत्री जाति रेगर निवासी गंगामाई के मन्दिर के पास, रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
32. रामेश्वर पुत्र श्री रेड़ाराम जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
33. श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
34. इमी देवी उर्फ इमली देवी पत्नी हरभंज जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।
प्रकरण संख्या 115 सन् 2013 निर्णय दिनांक 12.03.2018

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री राजेन्द्रसिंह मोट्यार, अभिभाषक प्रतिवादीगण श्री देवीलाल भाम्भू तथा पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर मुताबिक राजीनामा, इकबाल दावा वाद वादीगण काबिल खारिज एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय कांउटर क्लेम, सहमति अनुसार काबिल अन्तिम डिक्री है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. की जमाबंदी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 114/99 के प.नं. 128/289 (21) किला नं. 19 ता 25 कुल क्षेत्रफल 1.7710 हैक्टयर व प.नं. 128/290(24) के किला नं. 1 ता 25, कुल क्षेत्रफल 6.3250 हैक्टयर व प.नं. 127/293(39) के किला नं. 1,2,9,10 कुल क्षेत्रफल 1.0120 हैक्टयर इस प्रकार कुल किला 36 कुल क्षेत्रफल 9. 1080 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादीगण नं. 1, 2 लीलूराम, सतपाल दोनों 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 7 ता 11, प्रभुराम, राजू, सरस्वती, लालचंद, बनवारी पांचों 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं. 12 ता 16 विष्णुपाल, धर्मपाल, चिमन, विद्या, मंजू पांचों 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 32 रामेश्वर 1/4 हिस्सा के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। मुताबिक सहमति उभय पक्षकारान **प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पास** चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 128/289(21) के किला नं. 21/.127, प.नं. 128/290(24) के किला नं. 1 ता 3, 4/.126, 6 ता 9, प.नं. 127/293(39) किला नं. 9/.253, कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं 7 ता 11 के पास** चक नं. चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 128/290(24) के किला नं. 16, 18/.127, 19/.126 20 ता 25, प.नं. 127/293(39) के किला नं. 1/.253 कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं. 12 ता 16 के पास** चक नं. चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 127/293(39) किला नं. 10/.253, प. नं. 128/290(24) के किला नं. 10 ता 15, 17, 18/126, 19/.127 कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी संख्या 32 के पास** चक नं. चक 16 एसएसडब्लयू के प.नं. 128/289(21) के किला नं. 19, 20, 21/.126, 22 ता 25, प.नं. 128/290(24) के किला नं. 4/.127, 5/ 253, प.नं. 127/293(39) के किला नं. 2/.253 कुल 2.277 हैक्टयर भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 100/– का स्टाम्प तकमिलन शामिल फाईल करवाया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी–प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। आज दिनांक 15.03.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner